157/2015

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

13

अपील सूचना अधिकार संख्या 157/2015 अनवानी श्री राधेश्याम गोयल पुत्र स्व0 श्री भगवानदास गोयल जाति अग्रवाल निवासी 23 के ब्लॉक, श्रीगंगानगर बनाम निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) श्रीगंगानगर

06–02–2017

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल उपस्थित है। लोक सूचना अधिकारी के प्रतिनिधि उपस्थित नही है। अपीलार्थी की बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपीलार्थी का कथन है कि उसके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन पत्र दिनांक 08.09.2015 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी से जिस प्रकार से सूचनांए चाही गयी थी वह उनके द्वारा उपलब्ध नही करवाई गई है जो उसे उपलब्ध करवाई जावे एवं लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध न करवाये जाने के कारण उसके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावे एवं उन पर 25000 रूपये का जुर्माना लगाया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल ने अपने सूचना के अधिकार अधिनियम के आवेदन पत्र दिनांक 08.09.2015 के द्वारा निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) श्रीगंगानगर से निम्न सूचनांए चाही थीः–

> चुनाव विधानसभा या लोकसभा मे कार्यरत बीएलओ या अन्य कर्मकार या अधिकारी चुनाव में, चुनाव डयूटी के दौरान किसी व्यक्तिगत कार्य हेतु मुख्यालय छोडकर जाने हेतु निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी, जिला निर्वाचक अधिकारी, उपजिला निवार्चन अधिकारी या सहायक निर्वाचक अधिकारी या सैक्टर मजिस्ट्रेट से अनुमति लेना कानूनन जरूरी है इस सम्बन्ध में नियम की सूचना व नियम की प्रमाणित प्रतिलिपि।

अपीलार्थी के अपील पत्र पर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एस.डी.एम.) श्रीगंगानगर ने अपने जबाब सं0 1872 दिनांक 011.2015 28.06.2016 प्रस्तुत किया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई बिन्दुवार सूचना उनके कार्यालय के पत्र सं0 1790 दिनांक 28.09.2015 के द्वारा पंजिकृत डाक से प्रार्थी को समय पर उपलब्ध करवा दी गई थी। इसलिए अपील खारिज की जावे।

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एस.डी.एम.) श्रीगंगानगर द्वारा पत्र सं0 1790 दिनांक 28.09.2015 से अपीलार्थी को निम्नानुसार उत्तर दिया गया हैः–

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

PTO

157/2015

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

चाही गई सूचना के संबध में आपको अवगत करवाया जाता है कि सूचना अन्वेक्षण कर, ढूंढकर नये प्रारूप मे चाहने की श्रेणी में आती है। राजस्थान सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2 च में सूचना से तात्पर्य किसी भी स्वरूप में कोई भी सामग्री इसमें किसी भी इलक्ट्रोनिक्स रूप मे धारित अभिलेख, दस्तावेज, ज्ञापन, ई–मेल, मत, सलाह, प्रेस–विज्ञप्ति, परिपत्र, आदेश, लॉग बुक, सविंदा, रिपोर्ट, कागजात, नमूने, मॉडल संबधी सामग्री शामिल है। लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना सृजित करना या सूचना की व्याख्या करना एवं ऐसे खोजे गये तथ्य आवेदक को उपलब्ध करवाना अधिनियम के कार्य क्षेत्र से बाहर है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2 एफ के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुच हो अर्थात दूसरे शब्दो में सूचना वही देय है जो अभिलखो में उपलब्ध हो।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि आप कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखों का निरीक्षण कर किसी दस्तावेज की प्रमाणित प्रतिलिपि हेतु आवेदन कर सकते है।

अपीलार्थी के आवेदन पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना कोई निश्चित व स्पष्ट सूचना नही है और प्रश्नात्मक रूप में है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दो में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। **लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यो को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते। सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त "सूचना" का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। सूचना के रूप में कोई सुझाव देना किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है। इस प्रकार निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) श्रीगंगानगर द्वारा अपीलार्थी को दिया गया उक्त उतर दिनांक 28.09.2015 सही है। फिर भी** सूचना अधिकार अधिनियम की भावना को ध्यान में रखते हुए निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) श्रीगंगानगर को आदेश दिया जाता है कि वे अपने कार्यालय में **उपलब्ध अभिलेख के निरीक्षण हेतू आदेश प्राप्ति से 15 दिवस की तिथी नियत कर अपीलार्थी को सूचित करे** और उस नियत तिथि पर अपीलार्थी को अभिलेख का निरीक्षण करवाया जावे और अपीलार्थी उपलब्ध अभिलेख में से जो भी सूचना लेना चाहे वह उसे नियमानुसार उपलब्ध करवा दी जावे। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) श्रीगंगानगर को पालनार्थ भेजी जावे। आदेश की प्रति अपीलार्थी को भी भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

471-72
07/3/17

आदेश आज दिनांक 06.02.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ज्ञाना राम)

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर